

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म० प्र०

दि. 19-06-16

प्र० क्र० / 16

1. नन्नी बाई पत्नि नन्हे भाई आयु 62 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।
2. कमोदा पुत्र जलमा आयु 40 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।

आवेदकगण

विरुद्ध

1. जीवाजीशाह पुत्र उदयप्रताप सिंह बुंदेला व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।
2. मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक घुवारा जिला छतरपुर।

अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक घुवारा द्वारा प्र० क्र० 34/A-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19/1/14 को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सहिता।

माननीय न्यायलय,

1. ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर की भूमि सर्वे क्र० 459 आवेदक क्र० 1 के स्वामित्व व अधिपत्य की है तथा भूमि सर्वे क्र० 479 आवेदक क्र० 2 के स्वामित्व की है राजस्व अभिलेख में भी उक्त भूमि आवेदकगण के स्वामित्व व अधिपत्य की अंकित है। उक्त भूमि पर आवेदकगण काबिज हो कर कृषि करते चले आ रहे हैं।
2. सर्वे क्र० 459 एवं 479 से लगी हुई सर्वे क्र० 457 अनावेदक क्र० 1 के स्वामित्व की है। अनावेदक क्र० 1 ने आवेदकगण की भूमि पर अधिपत्य करने के आशय से आवेदकगण को कथित सीमांकन की विधिवत् सूचना दिये बिना दिनांक 22/05/14 को अनावेदक क्र० 1 के स्वामित्व के सर्वे न० 457 रकवा 2.880 हैक्टर का पटवारी के माध्यम से सीमांकन करना बता कर तथा दिनांक 22/06/14 को राजस्व निरीक्षक से हस्ताक्षर करा कर राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

द्वारा आज दि. 15-6-16 को

प्र० प्र०

वद
15/6/16
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

Q Chatund
15/6/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1900-एक/2016

जिला छतरपुर

नन्नीबाई विरूद्ध जीवाजीशाह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक धुवारा के प्रकरण क्रमांक 34/ए-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी धुवारा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी धुवारा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के.जेन) 01/02/19 सदस्य</p>